लोकतंत्र की स्थिति लगातार कमजोर

अपने आसपास की बात करें तो पड़ोसी देश म्यांमार में निर्वाचित सरकार को इसी साल फरवरी में सेना ने ताकत के जोर से उखाड़ फेंका। जिन देशों में लोकतंत्र कायम है, वहां भी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार विभिन्न उपायों से कम किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।

नवीन पंडित।।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की पहल पर दो दिवसीय वर्चुअल समिट फॉर डेमोक्रेसी ऐसे समय हुई, जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। बाइडन ने समिट की शुरुआत करते हुए बताया कि यह लगातार 15वां वर्ष है, जब वैश्विक स्तर पर नागरिक स्वतंत्रता पर पाबंदियां बढ़ी हैं। यही नहीं, पिछले एक दशक के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले आधे से ज्यादा देशों में लोकतंत्र बाधित हुआ है। वैसे, अन्य देशों की क्या बात की जाए खुद अमेरिका में भी लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।

राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हुए एक साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ट्रंप समर्थकों की बड़ी संख्या ऐसी है, जिसने अब तक चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया है। अपने आसपास की बात करें तो पड़ोसी देश म्यांमार में निर्वाचित सरकार को इसी साल फरवरी में सेना ने ताकत के जोर से उखाड़ फेंका। जिन देशों में लोकतंत्र कायम है, वहां भी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार विभिन्न उपायों से कम किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।

ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि इस पहल के जरिए करीब 80 लोकतांत्रिक देशों के नेता एक मंच पर आए। इस मौके पर यह फर्क भी किसी की नजरों से छुपा नहीं रह सका कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद पाकिस्तान इस आयोजन से गायब रहा, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावी ढंग से शिरकत करते नजर आए। माना जा रहा है कि चीन की संभावित नाराजगी से बचने के कारण पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ। चीन और रूस दो ऐसे प्रमुख देश रहे, जिन्हें इस समिट में आमंत्रित नहीं किया गया। चीन एकदलीय व्यवस्था वाला कम्युनिस्ट देश है, जहां शी चिनफिंग मनचाही अवधि के लिए राष्ट्रपति पद पर कब्जा कर चुके हैं, जहां शिन्च्यांग में उइगुरों का दमन किया जा रहा है। रूस में पूतिन पर विपक्षी नेताओं को दबाने और चुनावों में धांधली करने के आरोप लगते रहे हैं। ये दोनों ही देश इस आयोजन से क्षुब्ध हैं। दोनों देशों के वॉशिंग्टन स्थित राजदूतों ने संयुक्त बयान जारी कर जहां अपने–अपने देशों की तानाशाही व्यवस्था को अलग तरह का लोकतांत्रिक मॉडल बताया, वहीं शीत युद्ध के दौर वाली मानसिकता अपनाने के लिए अमेरिका की तीखी आलोचना की।

बहरहाल, दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा सिर्फ अलग तरह के मॉडल वाली वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर पल रही अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों से भी है। यह भी समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र किसी भी समाज या देश पर बाहर से नहीं थोपा जा सकता, इसे अपनाने और बचाने की लड़ाई हर समाज को खुद लड़नी होती है, इसके बावजूद लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता को राष्ट्रीय भूगोल की सीमा में बांटकर नहीं रखा जा सकता। इन्हें वैश्विक मूल्य के रूप में संजोकर ही दुनिया बेहतरी की ओर कदम बढ़ा सकती है।

व्यक्तिगत अनुभव

अशोक वोहरा।

धार्मिक ज्ञान का एक अन्य स्रोत उन घटनाओं का ज्ञान है जो स्पष्ट रूप से धार्मिक व्यक्तिगत अनुभवों (जैसे प्रार्थना या अनुष्ठान में भागीदारी) से आते हैं, लेकिन धर्म से प्रभावित कई सामाजिक और नैतिक घटनाओं से भी। इसका अर्थ यह है कि धार्मिक ज्ञान दोनों स्रोतों द्वारा पोषित हैरू सिद्धांत और व्यक्तिगत अनुभव। इसके अलावा, धार्मिक मान्यताओं को अपनाने और आवेदन व्यक्ति की भावनाओं और लक्ष्यों से प्रभावित होता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत ज्ञान सामान्य रूप से, उसके परिवार और उसके आस–पास की संस्कृति के साझा ज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि परंपरा का व्यक्ति के धार्मिक ज्ञान के निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, व्यक्ति के अनुभव भी इस ज्ञान के गठन, समेकन या सत्यापन को प्रभावित करते हैं।

संपादकीय

कानून से बाहर बनते रिश्ते

मौजूदा कानून के तहत 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की लड़की शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति देने की अधिकारी है। मतलब यह हुआ कि लड़की कानूनी तौर पर 21 साल से पहले शादी तो नहीं कर सकती लेकिन वह संबंध बनाने के लिए सहमति दे सकती है। ऐसे में बिना शादी किए लड़की 18 साल से ऊपर होने के बाद लिव–इन में रह सकती है, संबंध बना सकती है और बच्चे भी पैदा कर सकती है। तो क्या नया कानून कानून से बाहर बनने वाले इन रिश्तों के जरिए समाज में जटिलता को बढ़ाने वाला है? एक अहम पहलू शारीरिक संबंध बनाने की सहमति से जुड़ा है। कानूनी प्रावधान कहता है कि अगर कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है और वह संबंध बनाने के लिए सहमति देती है तो भी आदमी के खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा। लेकिन उसकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है और शारीरिक संबंध के लिए उसकी सहमति है तो फिर संबंध बनाने वाले के खिलाफ रेप का केस नहीं हो सकता। अब यहां सवाल यह है कि अगर लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल की जा रही है तो क्या शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति देने की न्यूनतम उम्र 18 साल ही बनी रहेगी या उसे भी 21 साल किए जाने की जरूरत है? ऐसे ही अगर नाबालिग हिंदू लड़की शादी को अमान्य करार दिलाना चाहे तो वह 18 साल की उम्र होने पर आवेदन करेगी या 21 की उम्र में आने के बाद? अगर 18 साल के बाद भी वह शादी को अमान्य करार नहीं दिलाती है तो क्या 21 साल से कम उम्र की उसकी शादी मान्य बनी रहेगी? जाहिर है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से पहले इन कानूनी विरोधाभासों को दूर करने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय का भी कहना है कि लड़की और लड़के की उम्र में अंतर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और उम्र में अंतर होने से समानता के मौलिक अधिकार का हनन होता है।

कानूनों में विरोधाभास

राजेश चौधरी।।

शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संसद की स्टैंडिंग कमिटी में भेजा गया है। इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। एक बात यह भी गौर करने वाली है कि लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र पर अलग–अलग पर्सनल लॉ में अलग–अलग प्रावधान हैं। साथ ही शारीरिक संबंध और सहमति को लेकर भी कई विरोधाभास हैं। जाहिर है, इस प्रस्ताव ने एक साथ कई जटिल मसले छेड़ दिए हैं। दरअसल, जया जेटली समिति की सिफारिश के आधार पर यह बिल लाया गया है। समिति को देखना था कि शादी और मातृत्व की उम्र का मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य, प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु लैंगिक अनुपात आदि से कैसा संबंध है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय का भी कहना है कि लड़की और लड़के की उम्र में अंतर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और उम्र में अंतर होने से समानता के मौलिक अधिकार का हनन होता है।

स्पेशल मैरेज एक्ट के मुताबिक शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। प्रस्तावित कानून पास होने के बाद लड़की की विवाह की

न्यूनतम उम्र भी 18 से 21 साल हो जाएगी। लेकिन हिंदू मैरेज एक्ट 1955 के तहत होने वाली शादी में अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो भी वह शादी अमान्य नहीं है। इसके तहत प्रावधान है कि अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है और उसकी शादी कराई जाती है तो शादी के बाद बालिग होने पर लड़की चाहे तो शादी को अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन दे सकती है। अगर वह अमान्य घोषित करने की गुहार नहीं लगाती है तो वह शादी मान्य हो जाती है। इससे अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जब लड़की प्यूबर्टी पा लेती है यानी शारीरिक तौर पर शादी के योग्य हो जाती है तो उसकी शादी हो सकती है। अगर लड़की नाबालिग है तो उसके पैरंट्स की सहमति जरूरी होती है और निकाह हो जाता है।

जहां तक आईपीसी का सवाल है तो इसकी धारा–375 में रेप को परिभाषित किया गया है। उसी में मैरिटल रेप को लेकर कहा गया है कि अगर कोई लड़की 15 साल से कम उम्र की है और उसके पति ने उससे संबंध बनाए तो वह रेप होगा। लेकिन पत्नी नाबालिग है और उम्र 15 साल से ज्यादा है तो उसके साथ बनाया गया संबंध रेप के दायरे में नहीं आएगा। हालांकि अक्टूबर 2017 को दिए एक फैसले में इस अपवाद को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और व्यवस्था दी कि अगर पत्नी 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में है और उसकी मर्जी के खिलाफ उससे संबंध बनाए जाते हैं तो पत्नी अपने पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा सकती है। जजमेंट के बाद अब नाबालिग पत्नी इसके लिए शिकायत कर सकती है और रेप का केस दर्ज होगा। लेकिन यहां यह मुद्दा काबिले गौर है कि अगर लड़की 15 साल से ज्यादा और 18 साल से कम है और उसने कोई शिकायत नहीं की और न ही बालिग होने के बाद शादी को अमान्य करार देने के लिए अर्जी दी तो वह शादी भी मान्य है और पति द्वारा बनाए गए संबंध भी अपराध नहीं हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हिंदू मैरेज एक्ट और मुस्लिम पर्नसल लॉ के तहत नाबालिग लड़कियों की शादी अभी भी अमान्य नहीं है तो फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल किए जाने का लाभ भारतीय समाज को कैसे मिलेगा जबकि देश भर में दूर–दराज इलाकों में अभी भी नाबालिग लड़कियों की शादी पर्सनल लॉ के तहत ही होती है।

सूडोकु नवताल- 5294

सरल

			2				3	
		9		8		2	6	4
1				3	6		9	
4		3						
	8			2			1	
						8		6
	4		7	5				3
3	7	5		4		1		
	2				8			

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5293 का हल

8	4	5	6	1	3	7	2	9
7	2	6	4	9	5	3	8	1
9	3	1	7	8	2	6	5	4
1	7	2	9	6	8	4	3	5
5	6	9	3	2	4	1	7	8
4	8	3	5	7	1	9	6	2
2	9	7	1	5	6	8	4	3
3	1	8	2	4	7	5	9	6
6	5	4	8	3	9	2	1	7

अपना ब्लॉग

हमें नये विकल्प की तलाश करनी होगी

मोहन। दिल्ली में कुछ वर्ष पूर्व वाहनों से प्रतिदिन 649 टन कार्बन मोनोऑक्साइड और 290 टन हाइड्रोकार्बन निकलता था, जबकि 926 टन नाइट्रोजन और 6.16 टन से अधिक सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा थी। जिसमें 10 टन धूल शामिल है। इस तरह प्रतिदिन तकरीबन 1050 टन प्रदूषण फैल रहा था। आज उसकी भयावहता समझ में आ रही है। उस दौरान देश के दूसरे महानगरों की स्थिति मुंबई में 650, बेंगलुरू में 304, कोलकाता में करीब 300, अहमदाबाद में 290, पुणे में 340, चेन्नई में 227 और हैदराबाद में 200 टन से अधिक प्रदूषण की मात्रा थी। तभी इसका समाधान निकलेगा। हमें नये विकल्प की तलाश करनी होगी। वाहनों में डीजल पेट्रोल की खपत कम करनी होगी। डीजल–पेट्रोल का वैकल्पिक उपाय निकालना होगा। जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। सरकार को सीएनजी ईंधन जैसी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। क्योंकि सीएनजी की जहां लागत कम है दूसरी तरफ वायु को कम करने में भी इसकी अहम भूमिका है।